

57

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

PBR|निगरानी|नीमच|भू.रा|2017|3523 रिविजन कंमाक

मूर्ति श्री ऋषभदेव, मूर्तिपुजक श्री संघ मन्दिर सावन

जर्ये ट्रस्टीगण

/2017-18

- 1- सुरजमल पिता श्री कस्तुरचन्द्रजी महाजन
- 2- विमल कुमार पिता श्री मनोहरलाल जी जैन
- 3- महेन्द्र पिता श्री कन्हैयालालजी जैन
- 4- माणकचन्द्र पिता श्री चांदमल जी जैन  
सभी निवासियान ग्राम सावन तहसील व जिला नीमच
- 6- महेन्द्र पिता श्री मदनलाल जी जैन, वयस्क  
निवासी ग्राम सावन तहसील व जिला मन्दसौर

—प्रार्थीगण (मूलतः प्रार्थीगण)

विरुद्ध

- 1- अनिल कुमार दत्तक पिता श्री भेरुलाल जी जनक पिता गोपाल सेवक
- 2- गोपाल पिता स्व. श्री रामचंद्र जी सेवक
- 3- श्रीमती रेखाबाई पति स्व. भगवतीलाल जी सेवक
- 4- पियुष पिता स्व. श्री भगवतीलालजी सेवक नाबालिंग द्वारा  
सरपरस्त माता श्रीमती रेखाबाई पति स्व. भगवतीलाल जी सेवक
- 5- बंशीलाल पिता स्व. श्री रामचन्द्रजी सेवक  
सभी वयस्क, सभी का व्यवसाय कृषि  
सभी निवासियान ग्राम सावन तहसील व जिला नीमच (मूलतः अनावेदकगण) विपक्षीगण

②  
निवासियान  
25/9/17

① श्री रामचंद्र बंशीलाल-36  
द्वारा आज दि 25.9.17 को  
प्रस्तुत

लालक जोहर 25.9.17  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता  
विरुद्ध आदेश न्यायालय अधीक्षक भू.अभिलेख, भू-प्रबंधन नीमच जो  
उनके न्यायालय के रिव्यू प्रकरण कंमाक 12-अ/6-अ/2012-13  
में दिनांक 15.06.2017 को पारित किया गया।

यह रिव्यू प्रकरण न्यायालय अधीक्षक भू.अभिलेख, भू.प्रबंधन नीमच  
के मूल प्रकरण कंमाक 12अ/6-अ/2016 में पारित आदेश दिनांक  
13.10.2016 से उद्भूत हुआ था।

माननीय महोदय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है—

③

भू.एक-ना.2941

निरंतर पेज नं. 2 पर.....

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/नीमच/भू.रा./2017/3523

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.12.18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अधीक्षक भू-अभिलेख के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	 <b>प्रशासकीय सदस्य</b>